


## प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक: 261721394/स्कूल आई.डो. - 9788  
प्रति,

दिनांक:-

1,2,3,4  
8,9,14

प्रबंधक,

(DELHI INTERNATIONAL SCHOOL, INDORE)

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

नहोदवा/नहोदवा,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 17/06/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पचासवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -DELHI INTERNATIONAL SCHOOL, INDORE, JAWAHAR TEKRI, DHAR ROAD, INDORE, MP को कक्षा Nursery से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कक्षावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के संघित समूह तथा बमबोरा वगैरे के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दया में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रेषित बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु वह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (ग्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध ग्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को प्रबन्ध में बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- वेस्टइंटर/स्कूल कोई भी कंपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को परेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कक्षावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कसित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को वार्षिक या त्रैमासिक रूप से प्रतक्षित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कक्षाओं का पालन करना होगा;
  - ग्राउन्ड टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेगी।

Signature valid

Digitally signed  
RAJENDRA K. SHUKLA  
Date: 2019.11.14 14:01:35  
Reason: Digitally signed  
Location: NIC  
INDORE

जाएगा।

For DELHI INTERNATIONAL SCHOOL,

Secretary

Principal  
Delhi International School  
INDORE

स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपरोक्त सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

सुविधाएं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	871200	871200
स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	100000	100000
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	370260	370260

### अधीनस्थाना का विवरण

वर्ग	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
		संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
कक्षा आदर्श तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		61	500	61	500
कार्यालय कक्षा-सह-अभ्युक्त कक्षा-सह-प्रधानाध्यापक कक्षा		3	400	3	400
श्रीमानालय-सह-अभ्युक्त		5	3000	5	3000

### अन्य सुविधाएं

सुविधाएं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
कक्षा सभी सुविधाओं तक पहुंच काया रहित है। हां/नहीं	हाँ	हाँ
पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
पुस्तकों की संख्या	12000	12000
पत्रिकाएं/समाचार पत्र	15	15
पंचजन सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
पंचजन सुविधा की संख्या	90	90
शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/मिश्र)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	50	50
लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	24	24
विद्युत्/सुरक्षा के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
यदि अति सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है? हां/नहीं	हाँ	हाँ


- संकेत संपरोक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..261721394.. एवं आईसकोड (DISE) 23260513708 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किया जाए।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संपालन की कमियों को दूर करने के लिए अपना मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किया जाए।
- लोसापटी/न्याय, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "सील" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला INDORE मध्यप्रदेश

For DELHI INTERNATIONAL SCHOOL,



Secretary

  
Principal  
Delhi International School  
INDORE